



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072021-228561
CG-DL-E-29072021-228561

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]
No. 210]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2021/श्रावण 7, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2021/SHRAVANA 7, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

संकल्प

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2021

सं. आरटी-25014/1/2015-आरएस.—मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संकल्प सं आरटी-23018/3/88-टी दिनांकित 16 मई, 1991 का अधिक्रमण करते हुए समय-समय पर संशोधन के अनुसार, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद, परिषद का पुनर्गठन निम्नानुसार करते हैं:

क्र. सं.	विवरण	संख्या	संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4
क.	सरकारी सदस्य:-		
1.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री	1	अध्यक्ष
2.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राज्य मंत्री	1	उपाध्यक्ष
3.	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रभारी सड़क परिवहन मंत्री	31	सदस्य
4.	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के डीजी/आईजी	36	सदस्य
5.	केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि	9	सदस्य
	i) गृह मंत्रालय,		
	ii) शिक्षा मंत्रालय,		

- iii) रेल मंत्रालय,
- iv) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय,
- v) भारी उद्योग मंत्रालय,
- vi) पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- vii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- viii) शहरी विकास मंत्रालय
- IX) नीति आयोग

6	सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	सदस्य
7	अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	1	सदस्य
8	महानिदेशक एवं विशेष सचिव (सड़क विकास), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	सदस्य
9	संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	1	सदस्य
ख	गैर सरकारी सह-चयनित सदस्य:-		
10	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा नामित व्यक्ति:-	13	सदस्य
	(i) श्री एस. सी. नागपाल, 20 चानन सिंह पार्क (एफएफ), किर्बी प्लेस, दिल्ली कैट, नई दिल्ली-110010		
	(ii) श्री प्यारे खान, चैयरमैन और एमडी, आशिमी ग्रुप ऑफ कंपनीज, नागपुर, महाराष्ट्र		
	(iii) डॉ कमल सोई , 2208, फेज 2, अर्बन एस्टेट, दुगरी रोड, लुधियाना, पंजाब		
	(iv) श्री रवींद्र डब्ल्यू कासखेडीकर, सचिव, जनाक्रोश, 297, अभ्यंकर नगर, नागपुर-440010		
	(v) श्री रविन्द्र तिवारी, ग्राम - बडखा, पोस्ट रजवाडीह, पालम झारखंड प्रकल्प, महाराष्ट्र		
	(vi) श्री आर. एन. पराशर, 191, सेक्टर 4, मनसादेवी कॉम्प्लेक्स, पंचकुला, हरियाणा-134114		
	(vii) श्री राजेश रामकृष्ण वाघ, अध्यक्ष, जीवन सुरक्षा प्रकल्प, नागपुर, महाराष्ट्र		
	(viii) डॉ. निर्मल जैन, 128, वसुंधरा कॉलोनी, टोंक, रोड, जयपुर (राजस्थान)		
	(ix) एडवोकेट, नटराज शर्मा, सं. 23, तीसरा तल, बोलेटी पेरल अपार्टमेंट, हनुमान नगर, बेंगलोर, कर्नाटक		
	(x) श्री अजीत महादेवराव गोपेचंद, अमृतपथ, रंगनलय, रेलवे स्टेशन के पास, नांदेड, महाराष्ट्र		
	(xi) श्री अमर श्रीवास्तव, कमरा नंबर 202, सी -2305, सुशांत लोक, गुडगांव (हरियाणा)		
	(xii) श्री पीयूष तिवारी, सीईओ, सेव लाइफ फाउंडेशन, डी 10 पहला तल, हर्षा एलएन, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली, दिल्ली 110013		
	(xiii) सुश्री निवृत्ति राय, एमडी, इंटेल् इंडिया, कंट्री हेड, इंटेल् इंडिया एंड वीपी, इंटेल् कॉरपोरेशन में इंटेल् फाउंड्री सर्विसेज, बेंगलोर, कर्नाटक, भारत		

11	सड़क निर्माण, सड़क सुरक्षा और बीमा से संबंधित सरकारी संस्थान:- i) निदेशक, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ii) निदेशक, केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे iii) अध्यक्ष, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद iv) अध्यक्ष, जीवन बीमा निगम, मुंबई v) निदेशक, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे vi) मुख्य आयुक्त, रेलवे सुरक्षा, नई दिल्ली vii) निदेशक, वाहन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान, अहमदनगर viii) निदेशक, आई.आई.पी. देहरादून, उत्तराखंड	8	सदस्य
12	सड़क सुरक्षा से संबंधित संस्था:- i) अध्यक्ष/सचिव, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स, नई दिल्ली ii) अध्यक्ष/सचिव, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली iii) कार्यकारी निदेशक, एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, नई दिल्ली iv) अध्यक्ष, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली v) अध्यक्ष, अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस, नई दिल्ली vi) ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ गुड्स व्हीकल ओनर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली vii) अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट टेक्नीकल एक्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एसोसिएशन, कर्नाटक	7	सदस्य

2. समिति के विचारार्थ विषय और कार्य इस प्रकार होंगे:

- सड़क परिवहन क्षेत्र में नीतियों, सुरक्षा मानकों के नियोजन और समन्वय से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देना;
- राज्य सड़क सुरक्षा संगठनों के साथ-साथ सड़क परिवहन के प्रभारी अन्य राज्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करना और सिफारिश करना;
- सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के रखरखाव और उनके विश्लेषण सहित सड़क परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा पहलुओं में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास के लिए क्षेत्रों का सुझाव देना;
- आम तौर पर केंद्रीय स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए सड़क सुरक्षा उपायों की निरीक्षण और निगरानी करना।

3. परिषद अपने कामकाज के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और कार्यप्रणाली तय करेगी।

4. परिषद वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करेगी। क्रम संख्या (10) पर गैर-सरकारी सह-चयनित सदस्यों को इंडियन एयरलाइंस में इकोनॉमी क्लास द्वारा हवाई यात्रा के लिए टीए/डीए का वास्तविक या जो भी कम हो का भुगतान किया जाएगा।

5. उपरोक्त सह-चयनित संस्थागत/व्यक्तिगत सदस्यों का कार्यकाल इस संकल्प के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

6. सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) की अध्यक्षता में और सड़क सुरक्षा के मुद्दों अर्थात् मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्यों के परिवहन/पुलिस विभागों और अन्य एजेंसियों से संबंधित विभिन्न संगठनों के सदस्यों की एक कार्यकारी समिति का भी गठन किया जाएगा ताकि एनआरएससी की सिफारिशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा

सके। निदेशक (सड़क सुरक्षा)/ उप सचिव (सड़क सुरक्षा) समिति के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे। कार्यकारिणी समिति को, यदि आवश्यक हो, उप-समितियाँ बनाने और जहाँ आवश्यक हो, अतिरिक्त सदस्यों को सह-चयनित करने के लिए भी अधिकृत किया जा सकता है। समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्य के रूप में किसी अन्य विषय विशेषज्ञ को सह-चयनित कर सकता है।

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Road Safety Cell)

RESOLUTION

New Delhi, the 28th July, 2021

No. RT-25014/1/2015-RS.—In exercise of the powers conferred under Section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988 and in supersession of Resolution No. RT-23018/3/88-T dated 16th May, 1991 as modified from time to time, the Chairman, National Road Safety Council is pleased to re-constitute the Council as under:

S.No.	Particulars	No.	Brief Remarks
1	2	3	4
A.	Official Members:-		
1.	Minister for the Ministry of Road Transport and Highways	1	Chairman
2.	Minister of State for the Ministry of Road Transport and Highways	1	Vice-Chairman
3.	Ministers- in -charge of Road Transport of all States/UTs	31	Members
4.	DGs/IGs of all States/UTs	36	Members
5.	Representatives from Central Ministries/Departments	9	Members
	i. M/o Home Affairs,		
	ii. M/o Education,		
	iii. M/o Railways,		
	iv. M/o Petroleum & Natural Gas,		
	v. M/o Heavy Industries,		
	vi. M/o Environment and Forests & Climate Change		
	vii. M/o Health & Family Welfare		
	viii. M/o Urban Development		
	ix. NITI Aayog		
6	Secretary, M/O Road Transport & Highways	1	Member
7	Chairman, National Highways Authority of India	1	Member
8	Director General (Road Development) & Special Secretary, M/O Road Transport & Highways	1	Member
9	Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport & Highways	1	Member

B Non-Official Co-Opted Members

10	Individuals nominated by Minister for Road Transport and Highways:	13	Members
	(i) <i>Shri S.C. Nagpal, 20 Chanan Singh Park (FF), Kirby Place, Delhi Cantt. New Delhi-110010</i> (ii) <i>Shri Pyare Khan, Chairman & MD of Ashimi Group of Companies, Nagpur, MH</i> (iii) <i>Dr. Kamal Soi, 2208, Phase 2, Urban Estate, Dugri Road, Ludhiana, Punjab</i> (iv) <i>Shri Ravindra W. Kaskhedikar, Secretary, Janakrosh, 297, Abhyankar Nagar, Nagpur-440010</i> (v) <i>Shri Ravinder Tiwari, Village-Badhka, Post-Rajwadeeh, Paalm Jharkhand Prakalp, Maharashtra</i> (vi) <i>Shri R. N. Prashar, 191, Sector 4, Mansadevi Complex, Panchkula, Haryana-134114</i> (vii) <i>Shri Rajesh Ramkrishn Wagh, President, Jeevan Surksha Prakalp, Nagpur, Maharashtra</i> (viii) <i>Dr. Nirmal Jain, 128, Vasundhara Colony, Tonk, Road, Jaipur (Rajasthan)</i> (ix) <i>Advocate, Natraj Sharma, No. 23, 3rd Floor, Voley Peral Appt., Hanuman Nagar, Bangalore, Karnataka.</i> (x) <i>Shri Ajit Mahadevrao Gopechand, Amrutapath, Rungnalaya, near Railway Station, Nanded, Maharashtra</i> (xi) <i>Shri Amar Srivastava, Room No. 202, C-2305, Sushant Lok, Gurgaon (Haryana)</i> (xii) <i>Shri Piyush Tiwari, CEO, Save Life Foundation, D 10 First Floor, Harsha Ln, Nizamuddin East, New Delhi, Delhi 110013</i> (xiii) <i>Ms. Nivruti Rai, MD, Intel India, Country Head, Intel India and VP, Intel Foundry Services at Intel Corporation, Bangalore, Karnataka, India</i>		
11	Government Institutions related to Road Construction, Road Safety and Insurance:	8	Members
	i) Director, Central Road Research Institute, New Delhi ii) Director, Central Institute of Road Transport, Pune iii) Chairman, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Hyderabad. iv) Chairman, Life Insurance Corporation, Mumbai v) Director, Automotive Research Association of India, Pune vi) Chief Commissioner, Railway Safety, New Delhi vii) Director, Vehicle Research Development Establishment, Ahmednagar viii) Director, I.I.P. Dehradun, Uttarakhand		

12	Associations related with Road Safety:	7	Members
	i) President/Secretary, Society of Indian Automobile Manufacturers, New Delhi		
	ii) President/Secretary, Automobile Association of India, New Delhi		
	iii) Executive Director, Association of State Road Transport Undertakings, New Delhi		
	iv) President, Automotive Component Manufacturers Association, New Delhi		
	v) President, All India Motor Transport Congress, New Delhi		
	vi) All India Confederation of Goods Vehicle Owners Association, New Delhi		
	vii) President, All India Federation of Motor Vehicles Department Technical Executive Officers Associations, Karnataka		

2. Terms of References and functions of the Committee shall be:

- (i) To advise on all matters pertaining to planning and coordination of policies, standards of safety in the Road Transport Sector;
- (ii) To formulate and recommend road safety programmes for implementation by State Road Safety Organizations as also other State Agencies in-charge of road transportation;
- (iii) To suggest areas for research and development to improve safety aspects in the road transport sector including maintenance of statistics of road accidents and their analysis;
- (iv) To generally oversee and monitor at Central Level, the road safety measures undertaken by States/UTs.

3. The Council shall decide the procedure and methodology to be adopted for its functioning.

4. The Council will hold its meeting at least one a year. TA/DA shall be paid to the Non-Official Co-opted Members at Serial NO. (10) for the journey undertaken by air by economy class in Indian Airlines or actual whichever is less.

5. The tenure of the above Co-opted institutional/individual members will be for a period of two years from the date of issue of this Resolution.

6. An Executive Committee will also be constituted under the Chairmanship of Secretary (RT&H) and members from different organizations dealing with Road Safety issues viz. Ministries/Departments, Transport/Police Department of all States and other agencies to ensure effective implementation of the recommendation of NRSC. Director (RS)/Deputy Secretary (RS) will act as member-secretary of the Committee. The Executive Committee may also be authorized to form sub-committees, if required and co-opted additional members, wherever necessary. The chairman of the committee may co-opt any other subject expert as a member of the Committee.

AMIT VARADAN, Jt. Secy.